रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 2454/2009

राजस्थान राज्य ...अपीलार्थी (ओं)

बनाम

राम कैलाश उर्फ राम विलास ...प्रतिवादी (ओं)

दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के साथ पठित शस्त्र अधिनियम 1959 की धाराएँ 3/25 एवं 3/27- के तहत दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा और तीन साल और सात साल का कठोर कारावास और व्यतिक्रम उपबंध के साथ जुर्माना - विचारण न्यायालय द्वारा - उच्च न्यायालय ने धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को धारा 304 (भाग 1) में परिवर्तित कर दिया यह मानते हुए कि अभियुक्त को यह नहीं पता था कि (दो व्यक्तियों में से) वह किसे चोट पहुंचा रहा था -आजीवन कारावास की सजा को कम कर के आठ वर्ष कठोर कारावास की सजा दी - शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया -

अपील पर, अभिनिर्धारितः अभियुक्त का इरादा शारीरिक चोट पहुँचाना था जिससे मृत्यु होने की संभावना थी, ये निर्विवाद है - उच्च न्यायालय ने धारा 301 आईपीसी में दिए गए द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत पर विचार किए बिना दोषसिद्धि को बदल दिया- अभिलेख पर आए साक्ष्य के आलोक में धारा 300 आईपीसी के अवयव साबित हुए – इसलिए, दोषसिद्धि को धारा 304 के तहत परिवर्तित करना संधारणीय नहीं है- सिद्धांत - द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत - दंड संहिता, 1860 की धारा 301.

निर्णय

एम. वाई. इकबाल, न्यायाधीश

1. अपीलकर्ता राज्य द्वारा यह अपील जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी बी आपराधिक अपील संख्या 630/2004 में पारित 15.09.2008 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और उसकी दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 302 से धारा 304 भाग-1, भा.दं.सं. में बदल दिया और उसे आठ साल की अवधि के कठोर कारावास और 1,000/- रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

2. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि एक व्यक्ति रामचंद्र ने पुलिस अधीक्षक, नागौर के समक्ष 16.6.2001 को एक रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 दर्ज की जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कहा गया था कि उसी दिन, जब वह और मंगला राम 'मायरा' में भाग लेने के लिए बोडवा से दादरिया खुर्द जा रहे थे, तो एक सुजुकी मोटरसाइकिल कुचेरा से दस किलोमीटर की दूरी पर पीछे की ओर से आई।मोटरसाइकिल के पीछे बैठे मंगला राम चिल्लाया कि सुजुकी मोटरसाइकिल से किसी ने उन पर गोली चला दी है। इसके बाद उसने देखा कि आरोपी राम कैलाश और चालक मांगी लाल सुजुकी मोटरसाइकिल पर थे। अभियुक्त-प्रतिवादी राम कैलाश ने पिस्तौल से गोली चलाई, जिसकी पहचान उसने और मंगला राम, सरपंच ने की। सरपंच मंगला राम को कुचेरा अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद नागौर ले जाया गया और वहां से उन्हें जोधपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। कुचेरा पुलिस थाने के प्रभारी ने भा.दं.सं. की धारा 307/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। घायल मंगला राम का जोधपुर अस्पताल में ऑपरेशन किया गया, जहाँ 22.6.2001 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की धारा 302,120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत आरोप-पत्र दायर किया।

आरोपी घेवर राम को भा.दं.सं. की धारा 302,120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत चालान किया गया और तीसरे व्यक्ति दुर्गा राम को फरार घोषित कर दिया गया। बाद में दुर्गा राम को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर भा.दं.सं. सी. की धारा 302/34 और 120-बी के तहत आरोप लगाया गया। प्रत्यर्थी पर भा.दं.सं. सी. की धारा 302,120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 और 3/27 के तहत आरोप लगाए गए। अभियुक्त दुर्गा राम पर भा.दं.सं. की धारा 120-बी और 302 और वैकल्पिक रूप से 302/34 के तहत आरोप लगाए गए, और अभियुक्त घेवर राम पर भा.दं.सं. सी. की धारा 120-बी के तहत आरोप लगाया गया था, जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। अभियोजन पक्ष ने 33 गवाहों से पूछताछ की। अभियुक्तों के बयान धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए थे। बचाव में तीन गवाहों से पूछताछ की गई।

3. अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों और आक्षेपित आदेश से, यह स्पष्ट है कि चिकित्सा न्यायविद एम एस कोठारी के अनुसार मृतक मंगला राम के शरीर पर मुख्य चोट दायें सीने के निचले हिस्से पर 5.5 से.मी x 5 से.मी गहराई का एकाधिक छिद्र वाला कटा हुआ घाव था और पैर के ऊपरी भाग में कटा हुआ घाव था जिसके परिणामस्वरूप दाहिने हाथ पर घर्षण और खरोंचों के कारण कई घाव हुए। उनके अनुसार, ये चोटें

आग्नेयास्त्र के कारण लगी थीं। उन्होंने इन दोनों चोटों के एक्स-रे कराने की सलाह दी। हाथ के कई घावों पर, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार हड्डी में कोई चोट नहीं थी, और रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार छाती के दाहिने हिस्से में 10 वीं पसली का फ्रैक्चर पाया गया था। 16.6.2001 को लगी इन चोटों के परिणामस्वरूप, मृतक मंगला राम की 22.6.2001 को मृत्यु हो गई। प्राथमिकी के अनुसार मुख्य चश्मदीद गवाह रामचंद्र हैं, जिनसे पी. डब्ल्यू-10 के रूप में पूछताछ की गई है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि जब वह मोटरसाइकिल पर मंगला राम सरपंच के साथ जा रहा था, तो उसने सुजुकी मोटरसाइकिल और एक अन्य राजदूत मोटरसाइकिल के पास कुचेरा से दो किलोमीटर पहले घेवर राम, आरोपी-प्रतिवादी राम कैलाश, दुर्गा राम और मांगी लाल को देखा, और उन्हें मोटरसाइकिल पर देखकर, वे चारों संग्रामजी की ढाणी में घुस गए। कुचेरा से लगभग दस किलोमीटर दूर सुजुकी मोटरसाइकिल आई, जिसका चालक मांगी लाल था और प्रतिवादी पीछे बैठा था, जिसने उन पर गोली चलाई, जो सरपंच की दाहिनी जांघ के साथ टकरा गई। इसके बाद वह अस्पताल गए और रिपोर्ट दर्ज कराई।

4. इसके अलावा, घटना के दिन ही मृतक मंगला राम का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया गया है, जिसमें उसने कहा है कि आरोपी-प्रतिवादी मोटरसाइकिल पर पीछे से आया और उस पर गोली चला दी।

मोटरसाइकिल कोई और चला रहा था। कुचेरा पहुँचने तक वह बेहोश हो गए थे। यह साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि गोली की चोट अभियुक्त-प्रतिवादी द्वारा दी गई थी। इसके अलावा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त-प्रतिवादी द्वारा दी गई जानकारी और इसके अनुसरण में, देसी पिस्तौल और 12 बोर के कारतूस का खाली थैला बरामद किया गया, जिसे बुद्धा राम पीडब्लू-29, घेवर राम पीडब्लू-30 और बनवारी लाल पीडब्लू-21 द्वारा साबित किया गया है। हालाँकि बरामदगी के ये तीन गवाह पुलिस कांस्टेबल हैं, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि जंगल से बरामदगी की गई थी, पुलिस अधिकारी के लिए स्वतंत्र गवाह लाना संभव नहीं था। एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार छर्रों पर जो खून पाया गया था वह मानव का था।

5. मुकदमा पूरा होने पर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक), नागौर ने आरोपी दुर्गा राम और घेवर राम को बरी कर दिया, जबकि उसने आरोपी-प्रतिवादी को दोषी ठहराया और निम्न सजा सुनाईः

भा.दं.सं. सी. की धारा 302 के तहत	आजीवन कारावास और रु 20, 000/- का जुर्माना, और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, एक साल के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा।
धारा 3/25 के तहत	तीन साल का कठोर कारावास और रु

शस्त्र अधिनियम	2,000/- का जुर्माना, और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, एक महीने की साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा।
धारा 3/27 के तहत शस्त्र अधिनियम	सात साल का कठोर कारावास और रु 3,000/- का जुर्माना, और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, दो महीने की साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा।

सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था।

6. निचली अदालत के फैसले से व्यथित, अभियुक्त-प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की, जिसमें कहा गया था किः

> "9. वर्तमान मामले में मोटरसाइकिल पर दो लोग सवार थे जिनके नाम मंगला राम जो पीछे की ओर थे और रामचंद्र मोटरसाइकिल चला रहे थे, और उनके पीछे मोटरसाइकिल पर दो लोग आए जिनमें आरोपी अपीलकर्ता राम कैलाश उर्फ राम विलास भी शामिल था, जिसने उन पर गोली चलाई, जो मंगला राम की दाहिनी छाती के निचले हिस्से में टकरा गई, और घटना के छह दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर की राय के अनुसार यह बंदूक की गोली की चोट निश्चित रूप से ऐसी

प्रकृति की थी जिससे मौत होने की संभावना थी और इसे एक इरादे से मारा गया था, लेकिन अपराधी को यह पता नहीं था कि वह मोटरसाइकिल पर सवार दोनों में से किसे चोट पहुंचा रहा है। इसके अभाव में, और यह तथ्य की कि केवल एक गोली मारी गई थी, यह जानबूझकर शारीरिक चोट पहुँचाने का मामला है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, जो भा.दं.सं. की धारा 299 की उपधारा (ब) के तहत आता है जो भा.दं.सं. की धारा 304 के भाग-I के तहत दंडनीय है। यह संभावित मृत्यु के ज्ञान के साथ शारीरिक चोट पहुँचाने के जानबूझकर किए गए कृत्य का मामला नहीं है, बल्कि बन्दूक से चोट पहुँचाकर जानबूझकर जान से मारने का कृत्य है। यदि यह बिना किसी इरादे के ज्ञान का एक साधारण मामला होता, तो मामला भा.दं.सं. की धारा 304 भाग-II के तहत आता।

X X X

11. यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान मामला भा.दं.सं. की धारा 302 के बजाय भा.दं.सं. की धारा 304 भाग-1 के तहत आता है। जहाँ तक शस्त्र अधिनियम की धाराओं 3/25 और 3/27 के तहत

अपराधों का संबंध है, उन्हें इस तथ्य के कारण सही साबित माना गया है कि आरोपी यह स्थापित करने में समर्थ नहीं है कि उसके पास बरामद पिस्तौल का वैध लाइसेंस था, जिसका उसने अपराध करने में उपयोग किया था।"

7. प्रतिवादी की अपील को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस प्रकार निर्णय दियाः

"अभियुक्त अपीलकर्ता राम कैलाश उर्फ राम विलास की दोषसिद्धि और सजा को भा.दं.सं. सी. की धारा 302 के बजाय भा.दं.सं. की धारा 304 भाग-1 के तहत अपराध से बदलते हुए, उसे आठ साल की अवधि के कठोर कारावास और रु 50,000/- का जुर्माना देने की सजा सुनाई जाती है, और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर उसे एक साल के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा को भुगतना होगा। हालांकि, शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 और 3/27 के तहत दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी जाती है। भा.दं.सं. सी. की धारा 304 भाग-1 के तहत लगाया गया रु 50,000/- का जुर्माना आरोपित मृतक मंगला राम के कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान किया

जाएगा। हालांकि, शस्त्र अधिनियम की धाराओं 3/25 और 3/27 के तहत लगाया गया जुर्माना क्रमशः रु.2,000/- और रु 3,000/- को राज्य निधि में जमा किया जाएगा।"

8. इसलिए, राजस्थान राज्य ने उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील दायर की है।

9. हमने राजस्थान राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता और प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है। हमने मामले के तथ्यों और अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों की भी जांच की है। हमारी सुविचारित राय में निचली अदालत ने प्रतिवादी अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत सही दोषी ठहराया, जबकि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में घोर गलती की कि यह केवल भा.दं.सं. सी. की धारा 304 भाग-1 के साथ पठित धारा 299 की उपधारा (ब) का मामला है। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कारण कि प्रत्यर्थी को यह नहीं पता था कि वह मोटरसाइकिल पर सवार दोनों में से किसे चोट पहुँचा रहा था और यह केवल एक गोली की चोट थी जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई थी, यह कानून में मान्य नहीं है। उच्च न्यायालय धारा 301 में दिए गए द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत पर विचार करने में विफल रहा है। ऐसे मामले

में लागू तथ्यों और कानून पर इस न्यायालय द्वारा **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या और एक अन्य** (एआईआर 1977 एस.सी.सी. 45), के मामले में चर्चा की गई है :-

> "21. उपरोक्त अवलोकन से यह पता चलता है कि जब भी किसी अदालत का सामना किसी मामले के तथ्यों पर इस सवाल से होता है कि क्या अपराध 'हत्या' है या 'गैर इरादतन हत्या जो मृत्यु की श्रेणी में नहीं आती है ' है, तो उसके लिए तीन चरणों में समस्या का समाधान करना सुविधाजनक होगा। पहले चरण में जिस प्रश्न पर विचार किया जाना है, वह यह होगा कि क्या अभियुक्त ने ऐसा कोई कृत्य किया है जिससे वह दूसरे की मृत्यु का कारण बना है। अभियुक्त के कृत्य और मृत्यु के बीच इस तरह के कारण संबंध का प्रमाण, इस बात पर विचार करने के लिए दूसरे चरण की ओर ले जाता है कि क्या अभियुक्त का वह कृत्य धारा 299 में परिभाषित "गैर-इरादतन हत्या" के बराबर है। यदि इस प्रश्न का उत्तर प्रथमदृष्टया सकारात्मक पाया जाता है, तो दंड संहिता की धारा 300 के संचालन पर विचार करने का चरण पूरा हो जाता है। यह वह चरण है जिस पर न्यायालय को यह

निर्धारित करना चाहिए कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए गए तथ्य मामले को धारा 300 में निहित 'हत्या' की परिभाषा के चार खंडों में से किसी के दायरे में लाते हैं। यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है तो अपराध 'गैर इरादतन हत्या जो मृत्यु की श्रेणी में नहीं आती है' होगा, जो धारा 304 के पहले या दूसरे भाग के तहत दंडनीय होगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि धारा 299 का क्रमशः दूसरा खंड लागू होगा या तीसरा। यदि यह प्रश्न सकारात्मक में पाया जाता है, लेकिन मामला धारा 300 में उल्लिखित किसी भी अपवाद के भीतर आता है, तो अपराध तब भी 'गैर इरादतन हत्या जो मृत्यु की श्रेणी में नहीं आती है' होगा, जो दंड संहिता की धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है।"

10. उपरोक्त परीक्षण और निचली अदालत और उच्च न्यायालय के निर्णय और अभिलेख पर साक्ष्य के अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, यह एक विवादित तथ्य नहीं है कि किसकी गोली के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई। यहां जिस एकमात्र प्रश्न की जांच की जानी है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अपराध गैर इरादतन हत्या है जो मृत्यु की श्रेणी में आती है जो धारा 302 के तहत दंडनीय है या गैर

इरादतन हत्या है जो मृत्यु की श्रेणी में नहीं आती जो धारा 304 भाग-1 के तहत दंडनीय नहीं है। यहाँ, प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा, जिसके कारण मृत्यु होने की संभावना है, भी एक विवादित तथ्य नहीं है।केवल एक बात जिसका परीक्षण किया जाना है वह यह है कि क्या शारीरिक चोट भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के किसी भी खंड के तहत आती है।

11. इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने दंडादेश को धारा 302 से धारा 304 भाग-1 में परिवर्तित करने से पहले अपनी राय बनाने में भा.दं.सं. की धारा 301 पर विचार नहीं करने में और भी गलती की है। इसके अलावा, इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रतिवादी-अभियुक्त को पता था कि मृतक व्यक्ति को गोली मारने के उसके कृत्य से उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है जिसे चोट पचुंचाई गई है। यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी-अभियुक्त को मृत्यु की संभावना के बारे में पता नहीं था, हालाँकि, वह यह नहीं जानता होगा कि वह किसे शारीरिक चोट पहुँचा रहा है, लेकिन उसका कृत्य समग्रता में और अभिलेख पर साक्ष्यों के प्रकाश में स्पष्ट रूप से भा.दं.सं. की धारा 300 के अवयवों को साबित करता है।

12. उपरोक्त कारण के लिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का निर्णय जिसमें दंडादेश को भा.दं.सं. की धारा 302 से 304 भाग-1 में

परिवर्तित कर दिया को कायम नहीं रखा जा सकता है। उपरोक्त के आलोक में, यह अपील स्वीकार की जाती है है और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाता है और शस्त्र अधिनियम की अन्य धाराओं के साथ पठित भा.दं.सं. सी. की धारा 302 के तहत निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा को बहाल किया जाता है।

न्यायमूर्ति एम वाइ इकबाल

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा

नई दिल्ली

28 जनवरी, 2016

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।